संख्या–वे0आ0–2–293 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–8) में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा विभाग के विभिन्न संवर्गो/पदों के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–8) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :—

(1) आयुर्वेदिक विभाग तथा यूनानी विभाग के अन्तर्गत सृजित सामान्य कोटि/श्रेणी के पदों/संवर्गों पर राजकीय विभागों में उपलब्ध सामान्य कोटि/श्रेणी के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियॉ लागू होंगी।

(2) आयुर्वेदिक विभाग तथा यूनानी विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–293 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।